अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

	न्यायालय उपायुक्त, रॉची दा० खा० पुनरीक्षण वाद सं० 36 आर० 15/2021–22	
21.06.2023	श्री मुचीराम महतो पिता स्व० चन्द्रमोहन महतो निवासी ग्राम–होटलो, टोला धतकीजारा, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला राँची ....प्रार्थी। बनाम् राज्य आदेश प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद प्रार्थी ने विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू, रॉची द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 82/2020–21 मे पारित आदेश दिनांक 19.12.2020 के विरूद्ध दायर किया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू, रॉची ने प्रार्थी द्वारा दायर उपरोक्त अपील वाद को अस्वीकृत करते हुए अंचलाधिकारी, राहे के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–360 आर० 27/2019–20 में दिनांक 03.05. 2020 को पारित आदेश का बहाल रखा, जिसके तहत्त विद्वान अँचलाधिकारी, राहे ने प्रार्थी द्वारा मौजा होटलो, थाना सं० 95, थाना राहे, जिला रॉची के खाता सं० 63, प्लॉट सं० 421 रकबा 0.20 एकड भूमि के नामान्तरण हेतु दायर आवेदन को यह आयोजित करते हुए अस्वीकृत कर दिया कि आवेदित भूमि के हस्तांतरण मे छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1) (बी०) का उल्लघंन हुआ है। प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार – प्रार्थी ने मौजा होटलो, थाना सं० 95, थाना राहे, जिला रॉची के खाता सं० 63, प्लॉट सं० 421 रकबा 0.20 एकड भूमि को दशरथ महतो पिता स्व० सरधु महतो से निबंधित पट्टा सं० 6695 दिनांक 21.06.2001 द्वारा क्रय किया है। उपरोक्त खरीदगी के पश्चात् प्रार्थी उक्त प्रश्नगत भूमि पर	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

दखलकार होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे है। उन्होने अँचल अधिकारी राहे के समक्ष अपने उक्त भूमि के नामान्तरण हेतु आवेदन समर्पित किया, जिसे विद्वान अँचल अधिकारी ने हल्का कर्मचारी एवं अँचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर अस्वीकृत कर दिया। प्रार्थी द्वारा समर्पित आवेदन के विरूद्ध न तो प्रार्थी के विक्रेता और न ही किसी अन्य के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज किया गया। प्रस्तुत मामले मे हल्का कर्मचारी एवं अँचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित भूमि छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1) (बी०) से प्रभावित है। सक्षम पदाधिकारी से भूमि विक्रय अनुमति प्राप्त नहीं है। अतएव इस आधार पर विद्वान अँचल अधिकारी द्वारा नामांतरण अस्वीकृत की गयी है। इस संबंध मे माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा W.P(PIL)No- 758/2011 में पारित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक–25.12.2012 से पूर्व हुए हस्तांतरण पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (1) (बी०) प्रभावी नहीं होगा।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी ने मौजा होटलो, थाना सं० 95, थाना राहे, जिला रॉची के खाता सं० 63, प्लॉट सं० 421 रकबा 0.20 एकड भूमि को दशरथ महतो पिता स्व० सरधु महतो से निबंधित पट्टा सं० 6695 दिनांक 21.06.2001 द्वारा क्रय किया है, जो कुर्मी (महतो) जाति के सदस्य है। कुर्मी (महतो) जाति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (1) (बी०) के निमित अन्य पिछड़े वर्ग के तौर पर अधिसुचित है तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (1) (बी०) के अनुसार उक्त प्रावधान के निमित अधिसुचित अन्य पिछड़े वर्ग सदस्य की भूमि का हस्तांतरण बिना उपायुक्त के अनुमति के नही की जा सकती है। छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम मे वर्णित प्रावधान के उलंघन से हुए हस्तांतरण को किसी भी न्यायालय द्वारा मान्यता प्रदान नही किया जा सकता है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (3) के अनुसार - *No transfer of contravention of sub-section (1), shall be registered or shall be in any way recognized as valid by*

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

any Court, whatever in exercise, of civil, criminal or revenue jurisdiction

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 मे वर्णित प्रावधान के अक्षरसः अनुपालन हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा में W.P(PIL)No- 758/2011 मे निम्नलिखित निदेश पारित किया गया है – *we are making it clear for clarity of all the Officers dealing with matters under the Chhotanagpur Tenancy Act that they have to follow the laws in its true spirit and to protect the rights of the citizens.*

उपरोक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का क्रेता–विक्रेता कुर्मी जाति है जो छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1) (बी०) से आच्छादित है। उपरोक्त भूमि के हस्तांतरण में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (1) (बी०) का उल्लंघन हुआ है, जिसकी मान्यता प्रदान नही की जा सकती।

अतः प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है तथा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू, रॉची द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 82/2020–21 मे पारित आदेश दिनांक 19.12.2020 को बहाल रखा जाता है।

इस आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.05 14:29:05 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:1855:24c8:988a:358d